मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् १९६८.

मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९६८

[दिनांक १९ अक्टूबर, १९६८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक २१ अक्टूबर, १९६८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

बल प्रयोग या प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन करने के प्रतिषेध के लिये तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

1. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९६८ कहा जा सकेगा. — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— — परिभाषाएं.

(क) "प्रलोभन" से अभिप्रेत है —

(एक) किसी दान या परितोषण, चाहे वह नकदी में हो या वस्तु के रूप में हो;

(दो) कोई सारवान फायदा, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा हो, देने के रूप में किसी लालच का दिया जाना;

(ख) "धर्म-संपरिवर्तन" से अभिप्रेत है एक धर्म त्याग देना तथा कोई अन्य धर्म अंगीकृत कर लेना;

(ग) "बल" के अन्तर्गत बल-प्रदर्शन या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसमें दैवी अप्रसाद या सामाजिक जाति-बहिष्कार की धमकी सम्मिलित है, आती है;

(घ) "कपट" के अन्तर्गत दुर्व्यपदेशन या कोई अन्य कपटपूर्ण उपाय आता है;

(ङ) "अप्राप्त वय" से अभिप्रेत है अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति.

3. कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से किसी अन्य धर्म में प्रत्यक्षतः या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या अन्यथा संपरिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण करेगा. — बलपूर्वक धर्म-संपरिवर्तन का प्रतिषेध.

4. धारा 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा : — धारा ३ के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दंड.

परन्तु उस दशा में जबकि अपराध किसी अप्राप्त वय, किसी स्त्री या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी व्यक्ति के संबंध में किया गया हो तो दण्ड दो वर्ष तक का कारावास और दस हजार रुपये तक का जुर्माना होगा.

5. (१) जो कोई किसी व्यक्ति का एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के लिये आवश्यक संस्कार धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं करके या ऐसे संस्कार में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेकर, करेगा, वह उस संस्कार के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाये, उस जिले के, जिसमें वह संस्कार हुआ हो, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाय, ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के तथ्य की प्रज्ञापना भेजेगा. — धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को प्रज्ञापना दी जायेगी.

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

अपराध संज्ञेय होंगे.

६. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा और उसका अन्वेषण पुलिस-निरीक्षक के पद से निम्न पद के आफिसर द्वारा नहीं किया जायगा.

जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से अभियोजन संस्थित किया जायगा.

७. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये कोई भी अभियोजन, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही या उपखण्ड आफिसर के पद से अनिम्न पद के ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिसे कि वह (जिला मजिस्ट्रेट) उस संबंध में प्राधिकृत करे, द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जायगा अन्यथा नहीं.

नियम बनाने की शक्ति.

८. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी.